अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

कानाराम ..... **बनाम** सत्यनाराण वगैरह

किस्म मुकदमा .225 राज.काश्तकारी अधिनियम . .नम्बर.177सन.2022(दूदू)

28.06.2022

कानाराम बनाम सत्यनारायण वगैरह (177/2022)

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र पर दिनांक 23.06.2022 को सुना गया।

सर्वप्रथम अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि प्रसंगत आदेश दिनांक 04.01.2017 एक तरफा आदेश था जिसकी सूचना प्रार्थी को कभी नही रही ना कभी अधीनस्थ न्यायालय का सम्मन या रजिस्टर्ड एड़ी नोटिस से सूचना प्रार्थी को प्राप्त हुई इसलिए प्रश्नगत आदेश व अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण का संज्ञान नही हो सका। अभी दिनांक 10.06.2022 को राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से प्रार्थी को प्रकरण की जानकारी हुई जिस प्रार्थी ने तुरन्त अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर प्रकरण की जानकारी ली। अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की है, फिर भी न्यायालय अपील में देरी हुई मानते है तो अपील प्रस्तुती में हुई देरी को क्षमा कर अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

तत्पश्चात् अभिभाषक अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र की बहस में कथन किया कि आराजीयात का बेचान सन् 2015 में किया गया, उक्त विक्रय पत्र को निरस्त करवाये बिना घोषणा का वाद पोषनीय नहीं था। विक्रय पत्र को शून्य घोषित कर खातेदारी अधिकार दिये जाने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय (राजस्व) को नही होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया हैं। विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने का अधिकार केवल सिविल कोर्ट को है वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 12 को विक्रय पत्र के प्रतिफल प्राप्त नही होने या धोखाधड़ी के आधार पर विक्रय पत्र दिनांक 28.10.2016 को शून्य घोषित करवाने हेतु सिविल कोर्ट में चाराजोही करनी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर प्रश्नगत आदेश पारित किया है। अपीलार्थी आराजीयात के खातेदार काश्तकार है और मौके पर काबिज काश्त है इतने समय पश्चात खातेदार काश्तकार के विरूद्ध प्रस्तुत वाद जिसमें वादी का आराजीयात पर कब्जा भी नही है के पक्ष में जारी किया गया स्थगन आदेश पूर्णतया विधि विरूद्ध है। जाप्ता दीवानी के आदेश 39 नियम 3 ए में यह प्रावधान है कि एक पक्षीय स्थगन दिये जाने पर उसका निस्तारण 30 दिवस में किया जाना चाहिए, किन्तु उक्त विधिक प्रावधानो के विपरीत जाते हुए विगत 05 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर रखा है, जो विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तो के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से अपीलार्थी अपनी आराजीयात का उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहा है, न ही खातेदारी काश्तकार को प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर पा रहा है जिससे अपीलार्थी के विधिक अधिकारो का हनन हो रहा है। अपीलार्थी खातेदार काश्तकार एवं काविज काश्त है इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में प्रबल है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के आदेश दिनांक 02.01.2017 की पालना व प्रभाव को स्थगित फरमाई जावें।

सर्व प्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में देरी के जो कारण अंकित किये गये है वह संतोषजनक होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं। **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।**

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

कानाराम ..... **बनाम** सत्यनाराण वगैरह

किस्म मुकदमा .225 राज.काश्तकारी अधिनियम . .नम्बर.177सन.2022(दूदू)

लगातार

अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति, प्रार्थना पत्र धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम की प्रति,न्यायालय श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश एन0आई0 एक्ट कैसजे, क्रम–17, जयपुर महानगर, जयपुर में प्रस्तुत परिवान पत्र अन्तर्गत धारा 142 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881, अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की प्रति, विक्रय पत्र की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय द्धारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 को एक पक्षीय स्थगन आदेश दिये हुए करीब 05 वर्ष हो चुके हैं और अभी तक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधि.(अस्थायी निषेधाज्ञा) का निस्तारण नही किया गया हैं जबकि सी.पी.सी. के आदेष 39 नियम 3 (अ) में यह कानूनी प्रावधान दिया गया है कि जहॉ न्यायालय द्धारा एक पक्षीय स्थगन आदेश जाता है तो न्यायालय का कर्तव्य है कि उक्त प्रार्थना पत्र को एक माह में निस्तारण करना चाहिए था। विवादित आराजी के अपीलांट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं और अधीनस्थ न्यायालय ने एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया हैं। आदेश 39 नियम 3 ए के प्रावधानो के विपरीत वादग्रस्त आराजीयात पर एक पक्षीय रूप से बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही अपीलांट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया हैं जिसका निस्तारण निर्धारित समय से अधिक समय के उपरान्त भी निस्तारण विधि द्धारा निर्धारित समय से अधिक समय के उपरान्त भी निस्तारण नही कर लम्बित किया हुआ हैं जो प्रथमदृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य हैं। पक्षकारान के समय व आर्थिक व्ययता के ध्यान में रखते हुए, अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, विद्धान अधीनस्थ न्यायालय द्धारा पारित एक पक्षीय आदेश दिनांक 02.01.2017 को निरस्त किया जाना उचित समझते है एवं विवादित आराजी को आगे–आगे से बेचान नहीं हों तथा वाद के विचारधीन रहते हुए वाद की बाहुल्यता नहीं बढ़े इसलिए उभयपक्षकारान को बेचान नहीं करने से पाबंद किया गया उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप रो स्वीकार की जाती है एवं विद्धान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),दूदू के आदेश दिनांक 02.01.2017, प्रकरण संख्या 04/2017 को निरस्त किया जाता हैं एवं प्रकरण विद्धान अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधि. (अस्थायी निषेधाज्ञा) पर उभयपक्षकारा को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओं प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विवेचन कर, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर इस न्यायालय के आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। तब तक उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी को बेचान नहीं करें। अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 13 को दिनांक 15.07.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर